

15/12/24 पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता अपीलान्त के आवाज
दिलावारी गई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपाखिल। वर-
वार आवाज दिलावारे जाने के बावजूद अधिवक्ता
अपीलान्त अनुपाखिल रहने से अपील अपीलान्त कडम
हाजरी - अदम परवी न खारिज की जाती है। पत्रावली
कैसल सुफार होकर बाद तकिल दाखिल इफतर है।